बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक– .... / पटना, दिनांक– ....

06 / पणन (स०)–36 / 2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– **राज्य में खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 के अन्तर्गत CMR (चावल) की आपूर्त्ति करनेवाले अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स / व्यापारमंडलों एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंक को वित्तीय वर्ष, 2024–25 में प्रबंधकीय अनुदान मद से रू0 18,92,58,462 / – (अठारह करोड़ बानवे लाख अनठावन हजार चार सौ बासठ रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य में किसानों की उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ एवं सशक्त करने के लिए उनके कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स / व्यापारमंडलों / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान की स्वीकृति संसूचित है।

2. इस योजनान्तर्गत राज्य में खरीफ विपणन मौसम, 2024–25 अन्तर्गत दिनांक–03.03.2025 तक कुल आपूर्त्ति की गई **CMR** की मात्रा 946292.31 मे० टन (9462923.1 क्विंटल) के लिए 20 रू० प्रति क्विंटल की दर से **रू0 18,92,58,462 / – (अठारह करोड़ बानवे लाख अनठावन हजार चार सौ बासठ रू०) मात्र** की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त राशि वर्ष 2024–25 की मांग संख्या–09 मुख्यशीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–107–क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, उपशीर्ष–0106–अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान, विस्तृत शीर्ष– 31 सहायक अनुदान, विषयशीर्ष–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड–09– 2425001070106 से विकलनीय होगी।

4. इस राशि का आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जाएगा। निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार, पटना द्वारा उक्त राशि का उप–आवंटन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया जायेगा जो इस राशि के निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

राशि की निकासी सी0एफ0एम0एस0 (CFMS) में Grants-in-Aid Bill के अन्तर्गत विपत्र के माध्यम से संबंधित कोषागार से की जायेगी। विभागीय संकल्प संख्या 3096 दिनांक 26.10.2021 में वर्णित प्रावधानुसार अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्स/व्यापारमंडलों को संबंधित जिले के जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से सी0एफ0एम0एस0 (CFMS) में Payee Create करते हुए भुगतान किया जायेगा तथा बिहार राज्य सहकारी बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको को मुख्यालय (कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना) द्वारा सी0एफ0एम0एस0 (CFMS) में Payee Create करते हुए भुगतान किया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभागीय संकल्प संख्या 2881 दिनांक 12.10.2023 एवं 776 दिनांक 15.03.2024 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पैक्स/व्यापारमंडलों को भुगतान करेंगे।

6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2219 दिनांक–08.04.2020 के कंडिका–3 (ii) में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9. प्रत्येक जिले के लिए कुल वितरित राशि का जिलावार/बैंकवार विस्तृत प्रतिवेदन बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना द्वारा नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. सावधिक रूप से व्यवहृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. अंकेक्षण हेतु सभी अभिलेख सभी संबंधित स्तरों पर संधारित रहेगा।

12. प्रबंधकीय अनुदान मद की राशि के समुचित वितरण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जवाबदेही संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक की होगी, जो नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर यथावांछित निदेश संसूचित करेंगे।

13. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–06/पणन(स०)–36/2018 के पृष्ठ– 21/टि० पर दिनांक– 02.01.2018 एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन 06/पणन(स०)–36/2018 के पृष्ठ– 24/टि० पर दिनांक– 19.01.2018 को प्राप्त है।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक–4989/वि०(2) दिनांक– 16. 05.13 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों

एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

15. उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र 18 माह के अन्दर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के माध्यम से सहकारिता विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

16. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा सहमति संचिका संख्या–06/पणन(स०)–36/2018 के पृ0 संख्या– 227/टि० पर दिनांक– 04.03.2025 को दी गई है।

17. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–06/पणन(स०)–36/2018 के पृ0 संख्या– 228/टि० पर दिनांक– 05.03.2025 को प्राप्त है।

ह०/-
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 533 /पटना, दिनांक 07/03/2025
06/पणन(स0)–36/2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना।
2. अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, वित्त विभाग ,बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/अवर सचिव, प्रभारी–3 (बजट), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक (2 प्रतियों में), कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना तथा कार्यवाह सहायक को 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
3. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0।
4. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को मुहरबंद लिफाफे में।

07/03/2025

06.03.25

सरकार के अपर सचिव।